निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 209/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया SMECC, जीवन निधि, एल आई सी बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स मोतीलाल नरेश कुमार बस स्टेण्ड लूनियावास, गोनेर रोड, जयपुर ।
2. प्रोपराईटर श्री अविनाश जैन 4ए, पूजा टाउन हीरापुरा लूनियावास, गोनेर रोड जयपुर जरिये गर्ग किराना एण्ड जनरल स्टोर एककेआईटी रोड, जगतपुरा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः—बैक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 3-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 26.09.016 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में चल सम्पत्ति जो कि बस स्टेण्ड लूनियावास, गोनेर रोड, जयपुर जरिये गर्ग किराना एण्ड जनरल स्टोर एसकेआईटी रोड जगतपुरा जयपुर पर स्थित है, को हाईपोथीकेटेड कर कुल रूपये 5,00,000/—रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.11.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथीकेटेड चल सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के विभागीय प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.11.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक

को नहीं किया गया है। अप्रार्थी ऋणी की धारा 13 (2) के नोटिस प्राप्ति की पुष्टि में अप्रार्थी ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से हाईपोथीकेटेड चल सम्पत्ति जो किबस स्टेण्ड लूनियावास, गोनेर रोड, जयपुर जरिये गर्ग किराना एण्ड जनरल स्टोर एसकेआईटी रोड जगतपुरा जयपुर पर स्थित का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

6. आदेश आज दिनांक 3-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)